न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत, जिला–बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: पारूल पारीक, आर.जे.एस.
नं. फौ. प्रकरण संख्या :: 05/2006
सी.आई.एस.नम्बर :: 694/2014

राजस्थान राज्य

बनाम

1. भुराराम पुत्र रावतराम उम्र 35 वर्ष निवासी 28 जी.बी., श्री विजयनगर हाल खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर। (**दिनांक 05.05.2026 को मफरूर**)
2. देवकरण उर्फ देवाराम पुत्र फूसाराम उम्र 27 वर्ष निवासी दासौड़ी, पुलिस थाना कोलायत।
3. लक्ष्मणराम पुत्र किशनाराम उम्र 31 वर्ष निवासी पुनासर हाल सुरज नगर, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, बीकानेर।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति:
1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. श्री मनोहर सिंह राठौड़, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त लक्ष्मणराम की ओर से।
3. श्री हंसराज, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त देवकरण उर्फ देवाराम की ओर से।

::– निर्णय–:: **दिनांक: 08.05.2026**

1. इस आपराधिक प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना कोलायत, बीकानेर की ओर से अभियुक्तगण भुराराम, देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का न्यायालय में पेश करने पर हुआ। दिनांक 05.05.2026 को अभियुक्त भुराराम को मफरूर घोषित किये जाने के कारण यह निर्णय अभियुक्तगण देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम की हद तक पारित किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी का ईंट का भट्टा वाके रोही मड़ सांवला गांव के पास है, जो करीबन 03 वर्ष से बंद है। उसके भट्टे पर भट्टे से

संबंधित सामान पड़ा रहता है। वह 10–15 दिन से देखभाल कर चला जाता है। भट्टे को संभालने पर उसे पता चला कि कोई व्यक्ति भट्टे से विविध सामान चुराकर ट्रेक्टर की ट्राली में डालकर ले गया। दिनांक 24.11.05 को सुबह वह तलाश करता हुआ खतुरिया कॉलोनी के पास केशरी की बाड़ी में गया, तो उसका सामान उसे एक मकान में पड़ा दिखाई दिया। आस–पड़ौस के लोगों से पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि यहां देवाराम अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है। पड़ौसियों ने बताया कि देवाराम व उसके साथ 3–4 आदमी रोज रात को ट्रेक्टर लेकर कोलायत की तरफ जाते हैं और चोरी का सामान लाकर सुबह जल्दी वापिस आ जाते हैं। उसकी ईंट, किवाड़ की जोड़ी, खिड़की, पानी की टंकी व लौहे के माचे इस मकान में पड़े दिखाई दिये, इत्यादि।

3. उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोलायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2005 अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध में प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. न्यायालय द्वारा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप बनना मानते हुए अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्तगण ने उक्त आरोप सुन व समझ कर आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित गवाहों को परीक्षित करवाया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गयेः–

गवाह संख्या	**नाम गवाहान**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी.डब्ल्यू.–1	रतीराम	लिखित रिपोर्ट, चाक एफआईआर, नक्शा मौका घटना स्थल, भंवरलाल के भट्टे का नक्शा, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगी, नक्शा मौका बरामदगी स्थल, फर्द बरामदगी ईंटें, नक्शा मौका बरामदगी स्थल, फर्द गिरफ्तारी लक्ष्मणराम, फर्द जब्ती, नक्शा मौका जब्ती स्थल, फर्द बरामदगी
पी.डब्ल्यू.–2	कालू खां	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू.–3	भंवराराम	फर्द गिरफ्तारी लक्ष्मणराम, फर्द जब्ती, नक्शा

		मौका जब्ती स्थल
पी.डब्ल्यू.–4	भंवरलाल	नक्शा मौका घटना स्थल, फर्द बरामदगी मुलजिम लक्ष्मणराम व भवानी सिंह, नक्शा मौका बरामदगी स्थल
पी.डब्ल्यू.–5	भवानी सिंह	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
पी.डब्ल्यू.–6	रेवंत सिंह	फर्द बरामदगी मुलजिम देवाराम, नक्शा मौका बरामदगी स्थल
पी.डब्ल्यू.–7	शांतिलाल	फर्द बरामदगी मुलजिम देवाराम, नक्शा मौका बरामदगी स्थल
पी.डब्ल्यू.–8	रामविलास	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम लक्ष्मणराम, फर्द इत्तिला, फर्द जब्ती, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका, मालखाना रजिस्टर
पी.डब्ल्यू.–9	महेश दान	मालखाना रजिस्टर
पी.डब्ल्यू.–10	जिनकूराम	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम देवकरण, फर्द इत्तिला, फर्द जब्ती, नक्शा मौका बरामदगी स्थल,
पी.डब्ल्यू.–11	सलावत खान	लिखित रिपोर्ट, चाक एफआईआर, नक्शा मौका घटना स्थल, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भुराराम, फर्द इत्तिला, फर्द बरामदगी, नक्शा मौका, फर्द जब्ती ट्रेक्टर, 133 एमवी नोटिस
पी.डब्ल्यू.–12	दिलीप कुमार	133 एमवी एक्ट का नोटिस

क्रम सं.	**दस्तावेज क्रम संख्या**	**दस्तावेज का विवरण**
1.	प्रदर्श पी–1	लिखित रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी–2	चाक एफआईआर
3.	प्रदर्श पी–3	नक्शा मौका घटना स्थल 'ए'
4.	प्रदर्श पी–4	नक्शा मौका घटना स्थल 'बी'
5.	प्रदर्श पी–5	फर्द बरामदगी व सुपुर्दगी
6.	प्रदर्श पी–6	फर्द बरामदगी मुलजिम लक्ष्मणराम
7.	प्रदर्श पी–7	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मकान लक्ष्मणराम
8.	प्रदर्श पी–8	फर्द बरामदगी मुलजिम भवानी सिंह

9.	प्रदर्श पी–8 ए	भंवरलाल द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट
10.	प्रदर्श पी–9	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मकान भवानी सिंह
11.	प्रदर्श पी–9 ए	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भुराराम
12.	प्रदर्श पी–9 बी	फर्द इत्तिला मुलजिम भुराराम
13.	प्रदर्श पी–10	फर्द गिरफ्तारी लक्ष्मणराम
14.	प्रदर्श पी–11	फर्द बरामदगी मुलजिम लक्ष्मणराम
15.	प्रदर्श पी–12	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मकान लक्ष्मणराम
16.	प्रदर्श पी–12 ए	हालात मौका बरामदगी स्थल मकान लक्ष्मणराम
17.	प्रदर्श पी–13	फर्द बरामदगी मुलजिम देवकरण उर्फ देवाराम
18.	प्रदर्श पी–14	नक्शा मौका बरामदगी स्थल मकान लक्ष्मणराम
19.	प्रदर्श पी–14 ए	हालात मौका बरामदगी स्थल मकान लक्ष्मणराम
20.	प्रदर्श पी–14	पुलिस बयान गवाह भंवरलाल
21.	प्रदर्श पी–15	पुलिस बयान गवाह भवानी सिंह
22.	प्रदर्श पी–16	फर्द इत्तिला मुलजिम लक्ष्मणराम
23.	प्रदर्श पी–17	मालखाना रजिस्टर
24.	प्रदर्श पी–18	मालखाना रजिस्टर
25.	प्रदर्श पी–19	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम देवकरण उर्फ देवाराम
26.	प्रदर्श पी–19 ए	फर्द बरामदगी ट्रेक्टर मय ट्रॉली
27.	प्रदर्श पी–20	फर्द इत्तिला मुलजिम देवकरण उर्फ देवाराम
28.	प्रदर्श पी–20 ए	धारा 133 एम.वी. एक्ट का नोटिस
29.	प्रदर्श डी–1	पुलिस बयान गवाह कालु खां

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन साक्ष्य के दौरान वजह सबूत पर लगाये गये आर्टिकल का विवरण इस प्रकार हैः–

क्रम सं.	**दस्तावेज क्रम संख्या**	**दस्तावेज का विवरण**
1	Article–1, 2	बिना डंडे के लौहे के दो फावड़े

2	Article–3, 4	दो लौहे के छोटे संचे
3	Article–5	मुड़ी लकड़ी का संचा
4	Article–6, 7	बिना डंडे की लौहे की दो घेंती

7. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्तगण ने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत स्वयं के परीक्षण में अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया है कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

8. बहस अन्तिम सुनी गई।

9. दौराने बहस विद्वान् सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन की समस्त साक्ष्य व सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है। अभियोजन के समस्त गवाहान ने घटना की ताईद की है तथा पत्रावली पर जो भी साक्ष्य आई है, उसकी पूरी तरह से दस्तावेजी साक्ष्य से भी सम्पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष की कहानी में किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है। अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को भलीभांति साबित किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा समस्त कड़ीबद्ध साक्षीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर सजा दी जावे।

10. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण के तर्क हैं कि अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध के सम्बन्ध में पत्रावली पर अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है एवं किसी भी गवाह की ऐसी साक्ष्य नहीं है, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित होता हो। अभियुक्तगण से झूठी बरामदगी दर्शाई गई है। अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

11. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि–

(1)– ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.11.2005 से 24.11.2005 के मध्य किस समय वाके ईंटों के भट्टे, रोही मौजा मढ़, पुलिस थाना कोलायत में परिवादी रतिराम की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसके ईंटों के भट्टे में काम आने वाले लौहे का सामान, बिस्तर व लगभग 12,000/– रुपये ईंटों का हटाया?''

(2)– यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो?

12. पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 12 गवाहों को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया। पत्रावली पर आई सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकट होता है कि प्रकरण का मुख्य गवाह परिवादी रतीराम पीडब्लू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है, जो अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वर्ष 2005 में उसके बंद ईंट के भट्टे में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लौहे का सामान, ईंटें इत्यादि चुराई गई थी। पूछताछ करने पर राजूसिंह के भट्टे पर काम करने वाले कालू खां व भंवरलाल ने बताया कि देवाराम व अन्य 3–4 व्यक्तियों द्वारा एक रात को करीब 12 बजे उसके भट्टे से ट्रोली भर माल ले जाते हुए उनके द्वारा देखा गया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। चाक एफआर्ठआर प्रदर्श पी 2 है। पुलिस द्वारा नक्शा मौका घटना स्थल उसके समक्ष बनाया, जो प्रदर्श पी 3 है। अतः परिवादी के बयान के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी स्वयं द्वारा मुलजिमान को उसके बंद भट्टे से चोरी कारित करते हुए नहीं देखा गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा चक्षुदर्शी गवाह पीडब्लू 2 कालू खां तथा पीडब्लू 3 भंवराराम पुत्र नत्थाराम को परीक्षित करवाया है। गवाहान की साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करें तो गवाहान द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 28.10.2005 को उनके द्वारा देवाराम व अन्य व्यक्तियों को रतीराम के भट्टे से 1–1.30 बजे माल लोड करते हुए देखा था। पूछने पर देवाराम ने बताया कि उसने रतीराम से इजाजत ली हुई है। गवाह कालू खां पीडब्लू 2 जिरह में यह कथन करता है कि ईंटों के अलावा अन्य कोई सामान हो तो उसको नहीं पता। उसने सिर्फ ईंटें ही देखी थी। इसी क्रम में गवाह भंवराराम पुत्र नत्थाराम पीडब्लू 3 जिरह में कथन करता है कि मौके पर क्या–क्या सामान था यह वह अलग से नहीं बता सकात। उक्त् सामान का मालिक कौन था, उसे नहीं पता। अतः उक्त् गवाहान द्वारा मात्र अभियुक्त् देवाराम का नाम अपने बयानों में बताया गया है। अन्य व्यक्तियों का नाम उनके द्वारा नहीं बताया गया है। इसके अलावा उक्त दोनों चक्षुदर्शी गवाहान ने यह कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा ईंटों की चोरी की गई थी तथा अन्य सामान चुराने के संबंध में अपने बयानों में कोई साक्ष्य नहीं दी है।

इसके अतिरिक्त सुस्थापित विधि का अवलोकन करें तो विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि चोरी के प्रकरण में अभियुक्त्गण से की गई जब्ती अभियोजन पक्ष को संदेह से परे साबित करनी आवश्यक होती है। अतः अभियुक्तगण लक्षमण व देवाराम से की गई जब्ती के संबंध में यदि पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो **गवाह पीडब्लू 8 रामविलास** अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि मुलजिमान लक्ष्मण पुत्र किशनाराम को उसके द्वारा प्रदर्श पी 10 के जरिये गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लक्षमण

ने स्वैच्छा इत्तिला दी कि उसने दो घेंती, दो फावड़ा, दो संचा, एक मुड़ी लकड़ी की अपने मकान में बने छपरे के आगे रखी बजरी में छिपा रखे हैं। इत्तिला विश्वनीय होने पर रिकॉर्ड पर प्रदर्श पी 16 के रूप में ली गई। उक्त इत्तिला के अनुसरण में मुलजिम लक्ष्मणराम ने आगे चलकर बजरी में से उक्त माल पेश किया, जो जरिये फर्द प्रदर्श पी 11 जब्त किये गये। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 है। वजह माल सबूत जमा मालखाना करवाया गया और मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 17 है। बिना डंडे के लौहे के दो फावड़े आर्टिकल 1 व 2 है। दो लौहे के छोटे संचे आर्टिकल 3 व 4 है। मुड़ी लकड़ी का संचा आर्टिकल 5 है। बिना डंडे की लौहे की दो घेंती आर्टिकल 6 व 7 है। इसी क्रम में **गवाह महेशदान पीडब्लू 9** के रूप में परीक्षित हुआ है। गवाह द्वारा मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह पुलिस थाना कोलायत में मालखाना इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। प्रकरण सं. 162/2005 में उसने कुल 35 आईटम जमा मालखाना किये थे, जिसका इंद्राज उसने मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 266 व 273 पर दर्ज किया। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 17 व 18 है। इस संबंध में फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11 का अवलोकन किया जावे तो फर्द जब्ती के मौतबिरान साक्षीगण रतीराम व भंवराराम पुत्र नथाराम हैं। इस संबंध में **परिवादी रतीराम पीडब्लू 1** की साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह यह कथन करता है कि पुलिस ने लक्ष्मणराम से बरामदगी की थी। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11 है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 है। गवाह **पीडब्लू 3 भंवराराम** पुत्र नत्थाराम की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह ने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि पुलिस ने लक्ष्मण को गिरफ्तार किया था, जिसकी फर्द प्रदर्श पी 10 है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 11 है। फर्द बरामदगी नक्शा मौका प्रदर्श पी 12 है। गवाह जिरह में यह कथन करता है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 11, नक्शा मौका प्रदर्श पी 12, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 10 पर उसके व रजिराम के हस्ताक्षर कोलायत थाने में करवाये गये थे। उक्त प्रदर्श किस दिनांक, माह व समय पर बनाये गये, वह नहीं बता सकता। अतः प्रदर्श पी 11 के उक्त मुख्य मौतबिरान साक्षीगण द्वारा स्वयं की मुख्य परीक्षण में लक्ष्मणराम से सामान की बरामदगी कहां से हुई और इस संबंध में अन्य विवरण के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दी गई है। गवाह भंवराराम द्वारा तो अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि उक्त दोनों मौतबिरान के हस्ताक्षर फर्द जब्ती इत्यादि पर थाने पर ही करवाये गये थे। अतः उसके द्वारा भी मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी 11 व प्रदर्श पी 12 के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं दी गई है। उक्त बयानों के अवलोकन से प्रमाणित तौर पर यह प्रकट नहीं होता है कि मौतबीर साक्षीगण जब्ती के समय जब्ती स्थल पर मौजूद हो एवं मौतबीर साक्षीगण के समक्ष ही जब्तीकर्ता द्वारा वजह सबूत की जब्ती की गई हो। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर परीक्षित चक्षदुर्शी **गवाहान कालू खां पीडब्लू 2 व भंवराराम पीडब्लू 3** के बयानात का समग्र रूप से अवलोकन करें तो उक्त गवाहान द्वारा दौराने साक्ष्य यह कथन किये हैं कि अभियुक्त देवाराम के साथ जो 2–3 अन्य व्यक्ति थे, उनके द्वारा ईंटों की चोरी

कारित की जा रही थी। इस प्रकार चक्षुदर्शी गवाहान कालू खां पीडब्लू 2 व भंवराराम पीडब्लू 3 के द्वारा भी अभियुक्त लक्ष्मणराम द्वारा चोरी की घटना के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है एवं उक्त गवाहान द्वारा अभियुक्त लक्ष्मणराम द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने के संबंध में विशिष्ट कथन नहीं किये हैं। इसके अतिरिक्त उक्त गवाहान द्वारा तथाकथित अन्य जब्तशुदा सामान के बारे में भी उनके द्वारा अपनी साक्ष्य में कोई कथन नहीं किये गये हैं। इसी क्रम में **गवाह पीडब्लू 11 सलावत खां** के बयान का अवलोकन करें तो उक्त गवाह द्वारा मुख्यतः रूप से अभियुक्त भूराराम के संबंध में अनुसंधान बाबत् साक्ष्य दी है। अभियुक्त भुराराम को मफरूर घोषित किये जाने के कारण यह निर्णय शेष अभियुक्तगण की हद तक ही पारित किया जा रहा है। अतः गवाह भूराराम पीडब्लू 11 की साक्ष्य का विस्तृत अवलोकन इस स्तर पर आवश्यक नहीं होने के कारण गवाह के कथनों का विवेचन नहीं नहीं किया जा रहा है।

इसी क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा दौराने साक्ष्य परीक्षित **गवाह जिनकूराम पीडब्लू 10** के बयान का अवलोकन करें तो गवाह ने दौराने साक्ष्य कथन किये हैं कि देवकरण ने स्वैच्छा से इत्तिला दी कि उसने दो लौहे के किवाड, एक खिडकी व एक कपड़े का तिरपाल लक्ष्मणराम खतुरिया कॉलोनी, बीकानेर के प्लाट में छुपाकर रखा है, जो बरामद करवा सकता है। इत्तिला विश्वसनीय होने पर रिकॉर्ड पर ली गई, जो प्रदर्श पी 20 है। उक्त इत्तिला के अनुसरण में खतुरिया कॉलोनी पहुंचे, जिसके प्लॉट के बीच में बजरी पड़ी हुई थी। फवाडे से बजरी को हटाकर एक तिरपाल के नीचे दबे हुए दो जोड़ी किवाड़ फ्रेम सहित तथा एक जोडी बारी लौहा फ्रेम सहित निकालकर पेश किया, जिसे जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 के कब्जा पुलिस में लिया। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 14 है। इस संबंध में यदि फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 14 का अवलोकन करें तो उक्त फर्दात के मौतबिरान साक्षीगण न्यायालय में बतौर पीडब्लू 6 रेवंत सिंह व पीडब्लू 7 शांतिलाल परीक्षित हुये हैं। उक्त दोनों ही गवाहान दौराने साक्ष्य न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित रहे हैं। इसी क्रम में गवाहान **रेवंत सिंह पीडब्लू 6 व शांतिलाल पीडब्लू 7** के बयानात का समग्र रूप से अवलोकन करें तो उक्त गवाहान जिरह में कथन करते हैं कि उनके समक्ष पुलिस ने चोरी का कोई मसाान जब्त नहीं किया। प्रदर्श पी 13 व 14 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने थाने में खाली कागजों पर करवाये थे। अतः अभियुक्त देवकरण से जब्ती प्रदर्श पी 13 के दोनों ही मौतबिरान साक्षीगण न्यायालय में पक्षद्रोही घोषित होने से पत्रावली पर मौजूद मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त देवकरण से जब्ती प्रदर्श पी 13 प्रमाणित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर मौजूद चक्षदुर्शी साक्षीगण **गवाहान कालू खां पीडब्लू 2 व भंवराराम पीडब्लू 3** द्वारा जब्ती के संबंध में यह कथन किये थे कि आरोपीगण मौका से ईंट चुरा रहे थे, परंतु फर्द जब्ती प्रदर्श पी 13 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण से दौराने अनुसंधान ईंटों की जब्ती नहीं हुई है,

जिससे भी चक्षुदर्शी गवाहान की साक्ष्य की पुष्टि नहीं होती है।

इसी क्रम में पत्रावली पर परीक्षित अन्य **गवाहान भंवरलाल पीडब्लू 4 व भवानी सिंह पीडब्लू 5** की साक्ष्य का समग्र रूप से अवलोकन करें तो उक्त दोनों साक्षीगण दौराने साक्ष्य अभियोजन कहानी की ताईद नहीं कर न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित रहे हैं। गवाह भंवरलाल पीडब्लू 4 जिरह में कथन करता है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 व प्रदर्श पी 4, फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 5, प्रदर्श पी 6 व प्रदर्श पी 8 एवं नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 7 व 9 पर उसके व रतीराम चौधरी के हस्ताक्षर थाने में करवाये थे। उनके सामने किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई। इसी क्रम में गवाह भवानी सिंह पीडब्लू 5 जिरह में कथन करता है कि नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी 9 पर उसके, रतीराम व भंवरलाल के हस्ताक्षर पुलिस थाने में खाली कागजात पर करवाये थे। उसके घर से किसी प्रकार की कोई ईंटें किसी से भी बरामद नहीं हुई थी। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण से हुई बरामदगी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

दाण्डिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। यदि अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के समग्र विवेचन तथा स्थापित विधिक स्थिति की रोशनी में न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 01.11.2005 से 24.11.2005 के मध्य किस समय वाके ईंटों के भट्टे, रोही मौजा मढ़, पुलिस थाना कोलायत में परिवादी रतिराम की अनुमति के बिना बेईमानीपूर्ण आशय से उसके ईंटों के भट्टे में काम आने वाले लौहे का सामान, बिस्तर व लगभग 12,000/– रुपये ईंटों का हटाया हो।

13. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत घटित हुए अपराधों की विशिष्टयों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण देवकरण उर्फ देवाराम व लक्ष्मणराम के विरूद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

–:: आदेश ::–

14. अतः अभियुक्तगण **देवकरण उर्फ देवाराम** पुत्र फूसाराम उम्र 27 वर्ष निवासी दासौड़ी, पुलिस थाना कोलायत एवं **लक्ष्मणराम** पुत्र किशनाराम उम्र 31 वर्ष निवासी पुनासर हाल सुरज नगर, पुलिस थाना व्यास कॉलोनी, बीकानेर को धारा 379

भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(पारूल पारीक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक **08.05.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(पारूल पारीक)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकोलायत